प्रकरण संख्या–68 / 2019 GCMS ID-2019/00248 तारीख रजु–01.11.2019

# न्यायालय जिला कलक्टर, करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

1. चरण आयु 72 साल
2. पून्या आयु 65 साल

} पि. कन्हैया जाति गुर्जर निवासी फिरोजपुर तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज.) मो.नं. 8003180145 – अपीलार्थीगण

बनाम

1. जगदीश
2. रामचरण
3. मोतीराम
4. रामपति
5. भगवती
6. छोटीबाई
7. रामगिलासी
8. गुड्डी

} पुत्र पुत्रियान गंगाधर जातियान काछीयान (मालीयान) निवासी फिरोजपुर तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज.)

9. तहसीलदार साहब तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज.) – प्रत्यर्थीगण

अपील व खिलाफ तरमीम आदेश खसरा नं. 15 / 2 जो अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर गैरकानूनी ढंग से तहसीलदार मण्डरायल व उसके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा की गई है तहत धारा 75 एल.आर. एक्ट

**में**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 सी.पी.सी.

## निर्णय

दिनांक–26.08.2021

अपीलाण्ट्स द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार मण्डरायल द्वारा आराजी खसरा नं. 15 / 2 बाके ग्राम फिरोजपुर तहसील मण्डरायल की तरमीम को रेस्पोण्डेण्ट्स के हक में स्वीकृति दी गई है। उक्त तरमीम से असंतुष्ट होने पर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने उक्त अपील में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया है कि अपीलाण्ट प्रार्थीगण द्वारा यह अपील खसरा नं. 15 / 2 ग्राम नींदर की तरमीम की जानकारी दिनांक 09.10.2019 को होना बताते हुए व मानते हुए अंदर अवधि मानते हुए प्रस्तुत की है जिसके साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि अपीलाण्ट्स प्रार्थीगण को ख.नं. 15 / 2 की तरमीम की जानकारी बीसीयों वर्ष पूर्व से वक्त आवंटन से ही है। अपीलाण्ट्स ने दिनांक 09.10.2019 को जानकारी होना अपील में गलत तौर पर न्यायालय को धोखा देने की गरज से दर्ज किया है। रेस्पोण्डेण्ट नं. 1 ता 8 द्वारा दिनांक 13.04.2016 को अपीलाण्ट के विरुद्ध दावा धारा 188 आर.टी. एक्ट व प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी. एक्ट न्यायालय उप जिला कलक्टर मण्डरायल में प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता, जो प्रस्तुत अपील हाजा में भी अधिवक्ता हैं, ने दिनांक 03.08.2016 को वकालतनामा प्रस्तुत किया है और दिनांक 28.09.2016 को तैयार जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया गया है जिसमें ख.नं. 15 / 2 की तरमीम को निरस्त करने का प्रस्तुत किया है जिससे अपीलाण्ट को ख.नं. 15 / 2 की तरमीम की

जिला कलक्टर
करौली

जानकारी दिनांक 28.09.2016 से होना स्वीकृत है। इस प्रकार कानूनन अपीलाण्ट अपील जानकारी दिनांक 28.09.2016 के एक माह यानि तीन वर्ष की अवधि के मियाद बाहर प्रस्तुत की है जो प्रारंभिक स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। समीचीन दस्तावेज फर्द के साथ पेश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 को स्वीकार फरमाने एवं अपील, अपीलार्थीगण को प्रारंभिक स्टेज पर खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्य गलत हैं और स्वीकार नहीं हैं। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में तहसीलदार मण्डरायल द्वारा किस आदेश से 15/1 में 15/2 खसरा नंबर की तरमीम की है, प्रस्तुत नहीं की है। यहां तक कि प्रार्थी को भी तरमीम प्रार्थना पत्र बाबत् नकल देने पर तहसीलदार मण्डरायल द्वारा तरमीम आदेश की कोई नकल उपलब्ध ना कराकर मूल प्रार्थना पत्र प्रार्थी अपीलाण्ट को वापस कर दिया। प्रार्थना पत्र प्रमाण बाबत् पत्रावली में पेश है। इससे स्पष्ट है कि अपील तरमीम आदेश की है और प्रशासनिक अधिकारी अपने तुच्छ लोभवश प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों को समाप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज रेस्पोण्डेण्ट को कोई मदद नहीं करते हैं और इस प्रकार सरसरी प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलाण्ट को वास्तविक न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है। अंत में प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

वकील अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी खसरा नं. 15/1, 15/2 बाके ग्राम फिरोजपुर तहसील मण्डरायल जिला करौली बाबत् दावा एस.डी.ओ. कोर्ट मण्डरायल में लंबित है जो उनवानी जगदीश वगैरह बनाम पून्या जैर तजबीज है जिसमें प्रार्थना पत्र की रिवीजन रेवेन्यु बोर्ड अजमेर में करने पर उक्त पत्रावली की कार्यवाही स्थगित रखे जाने के आदेश दिनांक 22.01.21 जारी किये हुए हैं जिसकी छायाप्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है। उक्त प्रकरण में विवादित आराजी व पक्षकार समान हैं तथा रेगूलर वाद विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील की कार्यवाही स्थगित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

वकील प्रत्यर्थीगण ने प्रार्थना पत्र धारा 10 सी.पी.सी. का जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 जिस तौर पर दर्ज है, में अंकित खसरा नं. 15/2 रकबा 1 बीघा 05 विस्वा ग्राम फिरोजपुर तहसील मण्डरायल जिला करौली का दावा उनवानी जगदीश वगै. बनाम पून्या वगै. न्यायालय एस.डी.ओ. मण्डरायल में लंबित है जिसमें प्रार्थना पत्र की रिवीजन में न्यायालय रेवेन्यु बोर्ड राजस्थान अजमेर में अपीलाण्ट प्रार्थीयान की निगरानी पर दावा की अग्रिम कार्यवाही स्थगित रखे जाने के आदेश दिनांक 22.01.2021 को जारी होना, जिसकी छायाप्रति उक्त प्रार्थना पत्र के साथ पेश करना स्वीकार है। बकिया इबारत गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थीयान अपीलाण्ट्स द्वारा यह अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ कोई प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का व शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अपील एडमिशन स्टेज पर ही चलने योग्य नहीं है। अपीलाण्ट्स ने अपील न्यायालय को धोखा देकर दर्ज रजिस्टर करायी है। अपीलाण्ट को तरमीम की जानकारी दिनांक 28.09.2016 को अपीलाण्ट द्वारा मुकदमा उनवानी जगदीश बनाम पून्या वगै. में जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करने के दिवस से होना, अपीलाण्ट का स्वीकृत तथ्य है। अपील, अपीलाण्ट प्रार्थीयान प्रथम स्तर पर ही मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। धारा 10 सी.पी.सी. के प्रावधान दावा में लागू होते हैं, अपील में धारा 10 सी.पी.सी. के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
करौली

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गहनतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। रेस्पोण्डेण्ट नं. 1 ता 8 द्वारा दिनांक 13.04.2016 को अपीलाण्ट के विरुद्ध दावा धारा 188 आर.टी. एक्ट व प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी. एक्ट न्यायालय उप जिला कलक्टर मण्डरायल में प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता ने दिनांक 03.08.2016 को वकालतनामा प्रस्तुत किया है। दिनांक 28.09.2016 को तैयार जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया गया है जिसके मद संख्या 2, पृष्ठ संख्या 2 में अंकित किया है कि–

**"सही बात यह है कि विवादित खसरा नंबर 15/2 की नक्शे में तरमीम लाल स्याही से राजस्व कर्मचारियों से मिल कर गलत करायी है।"**

मद संख्या 2, पृष्ठ संख्या 3 में अंकित किया है कि–

**"प्रतिवादीगण विवादित आराजी की नक्शे में गलत तरमीम को निरस्त कराकर दुरुस्त कराने के अधिकारी हैं।"**

मद संख्या 7 पृष्ठ संख्या 3 में यह अंकित है कि–

**वादीगण ने उक्त नक्शे में लाल स्याही से तरमीम राजस्व कर्मचारियों से मिल कर गलत करायी है जिसको प्रतिवादीगण खारिज कराने के अधिकारी हैं।"**

अंत में प्रार्थना में यह अंकित किया है कि–

**"जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण खारिज किया जा कर प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम डिक्री इस प्रकार किया जावे कि विवादित आराजीयात की लाल स्याही से कराई गयी तरमीम को निरस्त किया जा कर वादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण को बेदखल नहीं करे तथा कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं करे।"**

इससे यह विदित होता है कि अपीलाण्ट्स को ख.नं. 15/2 की तरमीम की जानकारी दिनांक 28.09.2016 से होना स्वीकृत है। इसके पश्चात् भी इस अपील में भी अपीलाण्ट्स द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये हैं। इस प्रकार यह अपील, अपीलाण्ट द्वारा खसरा नं. 15/2 की तरमीम की जानकारी होने के दिवस से लगभग तीन वर्ष बाद मियाद बाहर इस न्यायालय में पेश की गई है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 सी.पी.सी. व अपील अपीलाण्ट स्वतः ही चलने योग्य नहीं हैं।

अतः रेस्पोण्डेण्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है एवं अपीलार्थीगणा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 सी.पी.सी. एवं अपील अपीलार्थीगण खारिज किये जाते हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार मण्डरायल को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 26.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर,
करौली